अधिसूचित सेवाएं और योजनाओं का लाभ निर्धारित अवधि में मिले

राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त ने जिले की जनता से किया सीधा संवाद, कहा कि संतुष्टि दर में सुधार किया जाए

माई सिटी रिपोर्टर अमर उजाला

आर्य कॉलेज के सभागार में लोगों को संबोधित करते राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता। साथ में अन्य। संवाद

पानीपत। अधिसूचित सेवाओं और योजनाओं का लाभ जनता को निर्धारित अवधि में मिलना चाहिए। आवेदनों का अस्वीकृति कम हो, इसके साथ ही जनता की संतुष्टि दर में सुधार होना चाहिए। यह कहना था हरियाणा के राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता का। वह शुक्रवार को आर्य कॉलेज के सभागार में एक्ट से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे थे। जिले के लोगों से सीधा संवाद किया और उनसे सुझाव भी लिए।

उन्होंने कहा कि सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट में अधिसूचित हैं। हर सेवा प्रदान करने का समय निर्धारित है। इसी अवधि काम कर लिए जाने चाहिए। पिछले आठ सालों में आयोग के पास ऐसी लाख अपील आई है, जिन आवेदनों पर निर्धारित समय पर काम नहीं हुआ। पानीपत में यह नौवीं बैठक है। कुल 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि हरियाणा मुख्यालय का अंत्योदय सरल पोर्टल की रैंक 23 से अब दूसरी हो गई है। इसका मतलब है कि मुख्यालय पर काम होना शुरू हो गया है। अब फील्ड में भी अधिकारी राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार काम करना शुरू कर दें। ऑटोमेटेड अपील सॉफ्टवेयर (आस) की शुरुआत हो चुकी है, जिसके जरिए काम निर्धारित अवधि में नहीं होने पर अपील उच्चाधिकारियों के पास खुद ब खुद चली जाएगी। सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। जिसे वेतन से भरना होगा। तीन पेनल्टी पर आयोग अधिकारी और कर्मचारी को नौकरी से हटाने की सिफारिश करेगा। पीड़ित आवेदक को भी आयोग पांच हजार रुपये तक का मुआवजा देरी के लिए दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को सरकारी विभागों की सेवाएं तय समय में दिलवाने के लिए अगर सॉफ्टवेयर में बदलाव की आवश्यकता होगी तो कराया जाएगा। इस दिशा में काम चल रहा है।

इन्होंने सुनाईं समस्याएं

मनोहरलाल भटला ने प्रॉपर्टी आईडी, एडवोकेट सुनील शर्मा ने विभिन्न प्रमाण पत्रों को अस्वीकृत करने, अनिल मदान ने बिजली निगम से परेशानियों, सेक्टर-11 निवासी सतीश कुमार ने सीवरेज की परेशानी, समालखा निवासी सुनील शर्मा ने नगर पालिका की अनदेखी, सेक्टर-29 इंडस्ट्रियल एरिया से श्रीभगवान अग्रवाल ने स्ट्रीट लाइट नहीं लगने, सेक्टर-12 निवासी ताराचंद ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने, एल्डिको निवासी संजय अरोड़ा ने हाईवे की स्ट्रीट लाइट बंद रहने और बलजीत सिंह ने भी स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को रखा।

ये रहे मौजूद : मंडलायुक्त संजीव वर्मा, मेयर अवनीत कौर, उपायुक्त सुशील सारवान, निगमायुक्त आरके सिंह, एसपी पूजा वशिष्ठ, सीटीएम एवं सचिव टीएलआरए अंकित शर्मा, डॉ. अर्चना गुप्ता, एडीसी वीना हुड्डा आदि।